

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राज.)

तारीख
हुक्म

मुकदमा नं.

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नंबर व तारीख अहम
जो इस हुक्म की
तामील में जारी ह


मुकदमा नम्बर- 372/2016

जगदीश बनाम राजेन्द्र वगै०

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने बताया कि वादग्रस्त भूमि को लेकर स्थाई निषेधाज्ञा का वाद विचाराधीन है। अप्रार्थीगण को माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम टी.आई से पाबन्द किया हुआ है। ऐसी स्थिति में न्यायहीन में पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश तादौराने वाद कर्न्फर्म किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा उभय पक्षों को तादौराने वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है की पूर्व में दिनांक 04.08.2016 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश तादौराने वाद कर्न्फर्म किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के सलग्न हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)